न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 207/2017

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. माणकचंद टांक पुत्र मगाराम जाति–कुमावत निवासी–बेरा रेतियां ग्राम निमाज, तहसील जैतारण जिला–पाली (राज0)		1. तहसीलदार जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.08/11/2017**

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 22/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–निमाज–चक–प्रथम, पटवार हल्का–निमाज–चक–प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी व अन्य खातेदारों की पैतृक पुश्तैनी शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1140 रकबा 15–15 बीघा, खसरा नं0 248 रकबा 15–19 बीघा की आई हुई है। जिसमें ख0 नं01140 में वादी के पिता का नाम इन्द्राज चला आ रहा है जिसमें अभी तक फौतेदगी म्युटेशन पारित नहीं हुआ है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला व काश्त है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते चला आ रहा है, उक्त आराजी मे वादी का सही नाम माणकचंद के स्थान पर हनुमानराम इन्द्राज हो गया है जो एक रोंग एन्ट्री है, जबकि वादी का सही नाम माणकचंद ही है सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड एवं परिचय पत्र, राशनकार्ड, आबादी प्लॉट के पटटे बैंक की पासबुक, आदि में भी वादी का सही नाम माणकचंद ही दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड के में तत्कालीन आरआई पटवारी ने वादी के माणकचंद का नाम गलत हनुमानराम का इन्द्राज कर दिया है जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता है जबकि वादी का सही नाम माणकचंद है जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात से एवं जमाबंदी से प्रमाणित है। जिसको दुरूस्त कराने बाबत यह वादपत्र घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश है।उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम गलत इन्द्राज है, जिससे वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उपरोक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेजात में वादी के अलग अलग नाम होने से बैंक से ऋण, कनेक्शन लेने व अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी का उपरोक्त वर्णित आराजी में गलत नम हनुमानराम के स्थान पर सही नाम माणकचंद दुरूस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मं नाम गलत इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से दिनांक 24/10/2017 को प्रतिवादी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नाम के सही व दुरूस्त इन्द्राज कराने को प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा तब वादी का यह वादपत्र बाबत अपने नाम की दुरूस्ती कराने की घोषणा कराने के बाबत बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के अलावा अन्य सहहिस्सेदार व खातेदार है परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि वादी को इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं न ही अन्य सहखातेदारों के वादी के इस वादपत्र से कोई हिस्से की प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी तहसीलदार जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 24/10/2017 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने पर बमुकाम निमाज-जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हनुमानराम के स्थान पर वास्तविक नाम माणकचन्द पुत्र मगाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार अपना जबाबदावा पेश करने का समय चाहते हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-निमाज में पेश हुई। पटवारी हल्का मय तहसीलदार जैतारण ने मजमा-ए-आम में फर्द मौका रिपोर्ट बनाकर पेश की, सा0मि0 की गई। फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौतबिरान लोगों ने बताया कि माणकचन्द को बचपन में हनुमान के नाम से पुकारते थे। अतः राजस्व रेकर्ड में हनुमानराम दर्ज हो गया। माणकचन्द एवं हनुमानराम एक ही व्यक्ति हैं। माणकचन्द के सभी दस्तावेजात माणकचन्द के नाम से ही बने हुए हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि माणकचन्द एवं हनुमानराम एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया। वस्तुतः वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में राशन कार्ड संख्या 2614, पहचान पत्र संख्या NQJ/0807933, एम0जी0बी0 बैंक निमाज की बैंक पासबुक, कार्यालय ग्राम पंचायत-निमाज का प्रमाण-पत्र एवं डी.एल. नं. 11999/2000-01 कर्नाटक स्टेट की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम माणकचन्द ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से हनुमानराम दर्ज नाम के स्थान पर माणकचन्द पुत्र मगाराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निमाज–चक–प्रथम, पटवार हल्का–निमाज–चक–प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी व अन्य खातेदारों की पैतृक पुश्तैनी शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 248 रकबा 15–19 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम हनुमानराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम माणकचन्द पुत्र मगाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं एवं खसरा नंबर 1140 रकबा 15–15 बीघा में मगाराम फौत के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण पारित किया जावें। जिसमें वादी का सही नाम माणकचन्द दर्ज किया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–निमाज में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner